

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर  
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.

अपील संख्या 334/2024  
(जीसीएमएस संख्या 2024/477)

निर्णय दिनांक:- 25-9-25

1. जयसिंह पुत्र पोकरदास जाति स्वामी निवासी देवासर तहसील सरदारशहर  
जिला चुरु

—अपीलांट

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, बज्जू।

—रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 02-08-2024  
उपखण्ड अधिकारी, बज्जू

उपस्थिति:-

1. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—


1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, बज्जू के आदेश दिनांक 02-08-2024 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।



राजस्व अपील अधिकारी  
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा द्वारा तहसील बज्जू में चक 11 बीएलएम के मुरब्बा नम्बर 230/5 की 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ तमाम दस्तावेज संलग्न किये थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर चक 11 बीएलएम के मुरब्बा नम्बर 230/5 की 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि प्रार्थी/अपीलांट को दिनांक 09-07-2010 को आवंटित की गई। अपीलांट उपरान्त अपीलांट को किश्ते जमा करवाने बाबत कोई सूचना व नोटिस नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आवंटन की सूचना अपीलांट/प्रार्थी को नहीं दी। अपीलांट/प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय में अपने उक्त आवंटन का पता लगाता रहा। आवंटित भूमि की किश्ते जमा करवाने को भी तैयार था परन्तु अपीलांट को हमेशा यही जवाब मिलता रहा कि अपीलांट को भूमि आवंटन के उपरान्त किश्ते जमा कराने के नोटिस जारी होने के उपरान्त ही किश्ते जमा करवाई जा सकेगी। अपीलांट/प्रार्थी द्वारा इस दौरान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किश्ते जमा करवाने बाबत प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया था। इस दौरान एसीसी उपनिवेशन एवं आवंटन अधिकारी छतरगढ़ का कार्यालय की समस्त आवंटित संबंधित पत्रावलिया उपखण्ड अधिकारी कोलायत में जमा हो गई और एसीसी छतरगढ़ का कार्यालय टुट गया। अपीलांट अपनी उक्त आवंटन की फाईल का पता करने कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कोलायत में गया तो अपीलांट को खोजबीन करने के बाद भी अपनी पत्रावली नहीं मिली। तथा एसीसी छतरगढ़ की पत्रावलियाँ उपखण्ड अधिकारी, बज्जू कार्यालय में जमा होने की सूचना अपीलांट को मिली। तब अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी, बज्जू कार्यालय में अपनी पत्रावली बाबत चाराजोई करने पर अपीलांट की पत्रावली उपखण्ड अधिकारी, बज्जू में मिलने पर अपीलांट को ज्ञात हुआ कि अपीलांट द्वारा दिनांक 09-07-2010 से आज दिनांक तक 20 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाने के कारण अपीलांट का आवंटन खारिज किया गया है।

अभिभाषक अपीलांट ने आगे कथन किया कि अपीलांट का आवेदन पत्र 20 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाने के कारण खारिज किया गया है। जिसकी सूचना व नोटिस अपीलांट को कभी नहीं दी गई। अधीनस्थ

  
राजस्व अपील अधिकारी  
बीकानेर



न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट को राशि जमा करवाने बाबत कभी कोई सूचना नहीं दी गई। इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब कोई तारीख पेशी नहीं बताई गई थी। आवेदित रकबा आज दिनांक को भी शुद्ध रूप से आराजीराज दर्ज रिकार्ड है। अपीलांट आज दिनांक को भी वादगत् भूमि के आवंटन हेतु राशि मय ब्याज भुगतान करने को तैयार है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 2017 पेज 209 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।



4.

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चक 11 बीएलएम के मुरब्बा नम्बर 230/5 की 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि बतौर विशेष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र 20 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाने के कारण खारिज किया गया है। प्रार्थी/अपीलांट द्वारा उक्त राशि जमा नहीं करवाने से यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी/अपीलांट भूमि रखना नहीं चाहता है तथा विशेष आवंटन नियम 13ए के 5(3) अनुसार आवंटन अवधि को 6 माह से अधिक का समय हो गया है तो ऐसे आवंटन स्वतः ही खारिज है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5.

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

  
राजस्थान अपील अधिकारी  
बीकानेर

6. प्रकरण के गुणावगुण पर न्यायालय का अभिमत है कि अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए चक 11 बीएलएम के मुरब्बा नम्बर 230/5 की 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि बतौर विशेष आवंटन की मांग की गई थी। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त चक 11 बीएलएम के मुरब्बा नम्बर 230/5 की 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि बाबत कुल 4 आवेदन प्राप्त हुए जिस पर अपीलांट/प्रार्थी जयसिंह पुत्र पोकरदास स्वामी एडजोइनिंग जिले का निवासी व भूमि 4 बीघा से कम होने के कारण प्रार्थी की प्रथम वरियता तय की गई। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि की कुल राशि 261170/-रु. तय की गई तथा उसका 20 प्रतिशत राशि 52234/-रु. जमा करवाने हेतु लिखा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विशेष आवंटन के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अपीलांट को वादग्रस्त भूमि का आवंटन किया गया व उक्त राशि जमा करवाने हेतु निर्देशित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में जारी किये गये नोटिस तामील की सुनिश्चितता के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न नहीं है। ऐसी स्थिति में यह साबित नहीं होता है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार का कोई सूचना अथवा चालान प्राप्त हुआ हो। इन तथ्यों से यह प्रकट होता है कि अपीलांट को वादग्रस्त भूमि आवंटन होने के पश्चात् 20 प्रतिशत राशि बाबत किसी प्रकार का नोटिस जारी नहीं किया गया।

अपीलांट द्वारा चक 11 बीएलएम के मुरब्बा नम्बर 230/5 की 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि बतौर विशेष आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। अभिभाषक अपीलांट द्वारा बतौर सबूत प्रस्तुत जमाबंदी सवंत् 2072-2075 जमाबंदी 2078 के अनुसार उक्त रकबा आज दिनांक को अराजीराज दर्ज है व अन्य किसी को आवंटनशुदा नहीं है। इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीर आरआरडी 2017 पेज 209 का न्यायिक दृष्टांत पेश किये जिसके अभिलिखित है कि:-

**Rajasthan Colonisation (Allotment & Sale of Government Land in IGNP Area) Rules, 1975 - R-23(2) Asstt. Commissioner allotted land and cost to be deposited by allottee- Allotment cancelled for non payment- Appellate Court rejected appeal of allottee - Revision before boar - Held**



राजस्व अपील अधिकारी  
बीकानेर




- Land still vacant - Allottee could not deposit amount as no notice was received by him - In the interest of justice allotment regularized if allottee deposits cost with interest - Revision allowed on condition.

वादगत् भूमि प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2072-2075 जमाबंदी 2078 के अनुसार आज दिनांक को भी आराजीराज है तथा अन्य किसी को आवंटित भूमि नहीं है, ऐसी स्थिति में उक्त नजीर मामलें पर पूर्णतया चस्पा होती है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन एवं नजीर के प्रकाश में अपीलाट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 02-08-2024 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बज्जू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादगत् भूमि अन्य को आवंटित नहीं होने पर अथवा अन्य किसी कार्य के लिए आरक्षित नहीं हो तथा अपीलाट दो माह के भीतर समस्त बकाया राशि जमा करवा दे ऐसी स्थिति में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशो व अद्यतन परिपत्रो के आलोक में अपीलाट के प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 25.9.25 को सरे इजलास सुनाया गया।



  
(उम्मेद सिंह रतनू)  
राजस्थान अपील प्राधिकारी  
बीकानेर